ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-1* February- 2021
Innovation The Research Concept

बस्तर रियासत की पुलिस, जेल एवं सैन्य व्यवस्था (1854 ई.–1947 ई.)

Police, Jail and Military System of Bastar State (1854 AD to 1947 AD)

Paper Submission: 16/02/2021, Date of Acceptance: 24/02/2021, Date of Publication: 25/02/2021

डिश्वर नाथ खुटे
सहायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग., भारत

सारांश

बस्तर रियासत में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था थी। पुलिस विभाग के प्रधानाध्यक्ष दीवान होते थे। सन् 1858 ई. में पंजाब पुलिस मैन्युअल छत्तीसगढ़ में लागू किया गया तथा इसके अनुसार पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले पोषाक, हथियार, ड्रिल और उनके अनुशासन संबंधी नियम बनाये गये। मध्यप्रांत के निर्माण के पश्चात् 1862 ई. में पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में नवीन सुधार किये गए। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और प्रत्येक थाने में निरीक्षक, मुख्य आरक्षक व आरक्षक के पद सृजत किए गए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये अपराधियों की व्यवस्था सजा उपरांत जेल में होती थी। बस्तर रियासत हेतु स्टेट जेल जगदलपुर में था जबकि सेंट्रल जेल रायपुर में स्थित थी। कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था थी। कैदियों को बागवानी व अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। डिप्टी कमिश्नर जेल की व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। जेल की साफ–सफाई को विशेष महत्व दिया जाता था। पहले बस्तर रियासत में राजा सैन्य दल का प्रधान होता था फिर दीवान का स्थान था। ब्रिटिश सर्वोच्चता के समय बस्तर रियासत को अंग्रेजी शासन पर आश्रित होना पड़ता था। 1876 ई. एवं 1910 ई. मे हुए विद्रोह को ब्रिटिश सेना के बल पर ही दबाया जा सका था। इस समय बस्तर राजा ब्रिटिश शासन की अनुमति के बिना न तो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर सकते थे और नहीं परस्पर सैनिक सहायता कर सकते थे।

There was a police system to maintain peace in the Bastar State. The Diwan was the head of the police department. In 1858 AD, the Punjab Police Manual was introduced in Chhattisgarh and according to these rules regarding the costumes, weapons, drills and discipline given to the police employees. After the creation of Madhya Pradesh, new improvements were made in the field of policing in 1862 AD. The posts of Superintendent of Police, Assistant Superintendent and Inspector, Chief Constable and Constable in each police station were created in each District. The criminals arrested by the police were arranged in jail after the punishment. The State Jail for Bastar princely state was in Jagdalpur while the Central Jail was located in Raipur. There was a system of health testing of prisoners. The prisoners were given horticulture and other types of education.

मुख्य शब्द : रियासत, दीवान, अबूझमाड़, बैलाडीला, फ्यूडेटरी स्टेट, चीफ कमिश्नर, कोटवार, कारागार, बिसाहा, बेगारी, सेंट्रल जेल, बन्दूक।

Riyasat, Diwan, Abujhmad, Bailadila, Fudatory State, Chief Commissioner, Kotwar, Jail, Bisaha, Begari, Central Jail, Gun.

प्रस्तावना

बस्तर का सामान्य परिचय –स्थिति, विस्तार एवं सीमाएँ

अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंतीय राज्य के रूप में बस्तर $17^{0}48'$ से $20^{0}14'$ उत्तरी अक्षांश और $80^{0}15'$ से $82^{0}1'$ पूर्वी देशांश के मध्य स्थित था। बस्तर का क्षेत्रफल 13062 वर्गमील था, जो कि देश की चौथी बड़ी क्षेत्रफल वाली रियासत थी। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 183 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 205 कि.मी. थी।[1] बस्तर रियासत के उत्तर में

कांकेर रियासत एवं रायपुर जिला, पूर्व में जैपुर (उड़ीसा), दक्षिण में भद्राचलम तालुका और पश्चिम में चांदा जिला तथा हैदराबाद का निजाम राज्य विद्यमान था।[2]

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 जनवरी 1948 ई. को बस्तर व कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला का निर्माण किया गया तथा मध्यप्रांत में मिलाया गया। 20 मार्च 1981 को बस्तर को संभाग का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बस्तर संभाग प्रशासनिक दृष्टि से 7 जिले 32 तहसीलों और 32 विकासखंडों में विभाजित है।[3]

धरातलीय स्वरूप

बस्तर का धरातलीय स्वरूप सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पर अधिक ऊँचा तो कहीं पर नीचा है। बस्तर की भूमि समुद्र सतह से 160 से 180 मीटर तक ऊँची है।[6] प्राकृतिक दृष्टि से
बस्तर को 6 भागों में बांटा जा सकता है –(1) उत्तर का निम्न या मैदानी भाग (2) केशकाल की घाटी (3) अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र (4) उत्तरपूर्वी पठार (5) दक्षिण का पहाड़ी बैलाडीला क्षेत्र (6) दक्षिण निम्न भूमि।[7]

शोध का उद्देश्य

किसी राज्य या रियासत की समृद्धि तथा उसमें निवास करने वाली जनता की सुख सम्पन्नता वहां की शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। बस्तर रियासत की शासन प्रणाली में सन 1854 ई. से 1947 ई. तक बस्तर की पुलिस, जेल एवं सैन्य व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों का अध्ययन कर बस्तर में हुए उसके प्रभाव को सामने लाना ही इस शोध का उद्येश्य है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्रोत –अभिलेखागारीय पद्धति ,समकालीन गजेटियर्स, व रिपोर्टस, का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक स्रोतों में प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है।

भौगोलिक परिचय

बस्तर रियायत की भू–पृष्ठ अनेक प्रकार की शैलों से निर्मित है। ये शैल अत्यंत प्राचीन है। भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बस्तर के शैलों को निम्नांकित 5 समूहों में बांटा गया है 1. विन्ध्यन शैल समूह 2. कड़प्पा शैल समूह 3. प्राचीन ट्रेप 4. आर्कियन ग्रेनाइट और नाइस 5. धारवाड़ क्रम।[4]

भूगर्भिक बनावट के फलस्वरूप बस्तर में पृथ्वी के प्राचीन शैल से लेकर आधुनिकतम नवीन चट्टाने पायी जाती है। बस्तर में मुख्यतः ग्रेनाइट, नाइस, शिस्ट एवं अन्य बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चट्टाने पायी जाती है। ये सभी चट्टाने ठोस तथा कठोर होती है। इनमें भूमिगत जल को इकटठा करने के गुणों की कमी रहती है तथा जल रिसने की क्रिया का अभाव रहता है। अतः पठार में भूमिगत जल संचयन एवं दोहन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है।[5]

बस्तर का धरातलीय स्वरूप एवं भूगर्भिक संरचना जल के वितरण को प्रभावित करता है। इसका अधिकांश क्षेत्र उबड़–खाबड़ होने के कारण इन भागों में जल संग्रहण की क्षमता कहीं अधिक तो, कहीं कम है। वहीं दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत मैदानी या कम उबड़–खाबड़ है, जिससे स्थाई और बड़ा सरिताओं का विकास हुआ है। बस्तर संभाग की प्रमुख नदियां –इन्द्रावती, शबरी, डंकनी–शंखनी, नारंगी, कोटरी दूध, कांगेर आदि है।

पुलिस व्यवस्था

भारतीय इतिहास में पुलिस व्यवस्था प्राचीनकाल से रही है यद्यपि कालानुरूप इसके नाम मे परिवर्तन मिलता है। पुलिस का शाब्दिक अर्थ होता है –''प्रजा की जान और माल की रक्षा करने वाला सिपाही या अफसर।'' जिस समय छत्तीसगढ़ का भू–भाग अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया उस समय पुलिस विभाग में केवल 149 कर्मचारी कार्यरत थें। डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने चीफ कमिश्नर से पुलिस बल में वृध्दि और पुलिस व्यवस्था में सुधार किये जाने की मांग की। उसकी मांग को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से स्वीकार की गई।[8]

बस्तर रियासत में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था थी। पुलिस विभाग के प्रधानाध्यक्ष दीवान होते थे। दीवान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इन्सपेक्टर, सब इंसपेक्टर और आरक्षकों की व्यवस्था थी। सन् 1858 ई. में पंजाब पुलिस मैन्युअल छत्तीसगढ़ में लागू किया गया तथा इसके अनुसार पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले पोषाक, हथियार, ड्रिल और उनके अनुशासन संबंधी नियम बनाये गये। मध्यप्रांत के निर्माण के पश्चात् 1862 ई. में पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में नवीन सुधार किये गए। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और प्रत्येक थाने में निरीक्षक, मुख्य आरक्षक व आरक्षक के पद सृजत किए गए।[9]

सन् 1865 ई. में बस्तर को फ्यूडेटरी स्टेट घोषित किया गया तथा एक पुलिस दल पदस्थ की गई। राजा को यह सूचित किया गया कि पुलिस के लिए वे आवश्यक व्यवस्था कर लें। यदि वे इस कार्य में असफल रहते है, तो ब्रिटिश शासन इस पर होने वाले समस्त खर्च को, राजा को अपने ऊपर लेने को बाध्य कर देगी।[10]

05 जनवरी 1884 को राजा भैरमदेव ने मध्यप्रांत के चीफ कमिश्नर को पत्र लिखा जिसमें लिखा कि 1879 तथा 1880 ई. में पुलिस महानिरीक्षक कोलोनल लोच द्वारा राज्य का भ्रमण किया गया। इस दौरान राजा ने उनसे मौखिक तथा लिखित अनुरोध किया कि जगदलपुर में राजा स्वयं के खर्च पर शासकीय पुलिस रखना चाहती है, जो बदमाशों को पकड़ने मे समर्थ हो, पदस्थ किया जाय, लेकिन कोई नही आया। उनका कहना था – दरअसल मेरे राज्य में पुलिस की आवश्यकता नहीं है। यहां डकैती, लूट आदि कुछ नहीं होता, सभी ओर शांति है। पुलिस केवल जगदलपुर और जगदलपुर तथा सिहावा के मध्य चाहिए। कोतवाली, जेल, कोषालय, डाक तथा पुलिस थानों, सभी के लिए 88 आरक्षक, 10 प्रधान आरक्षक तथा 03 मुख्य आरक्षक पर्याप्त है। यदि रायपुर की पुलिस राज्य की सीमाओं पर अपना कार्य संभालें तो आपकी कृपा होगी। यह व्यवस्था राज्य के लिए आवश्यक है। अन्य हिस्सों में पुलिस की आवश्यकता नहीं है।[11]

वर्ष 1886–87 में बस्तर रियासत में इंस्पेक्टर सहित कुल 54 पुलिस वाले थे।[12] डी.ब्रेट के अनुसार 1907 के पूर्व रियासत के पुलिस बल में 1 इंस्पेक्टर , 3 सबइंस्पेक्टर , 9 चीफ कांस्टेबल, 48 हेड कांस्टेबल और

274 कांस्टेबल और 8 घुड़सवार पुलिस है। यह बल एक जवान प्रति 548 व्यक्ति और 40 वर्गमील है। एक अधिकारी, दो हेडकांस्टेबल और 24 कांस्टेबल राजधानी मे सुरक्षित बल के रूप में रहते है। इस बल के रखरखाव का वार्षिक खर्च रू. 37000 है। राज्य में 10 थाने और 20 चौकियां है। बल में भर्ती स्थानीय युवकों की ही की जाती है। इनमें से लगभग आधा धाकड़, रावत और गोंड़ जाति के है।[13]

वर्ष 1934 में 260 पुलिस कर्मी हो गए। बीजापुर तथा कोंटा में नये पुलिस थाने और आवास का निर्माण किया गया। जगदलपुर, भानपुरी, कोंडगांव, केशकाल, अंतागढ़ तथा नारायणपुर के थाना प्रभारी अधिकारियों ने बरसात के दिनों में अपने क्षेत्र के चिकित्सा कर्मियों के साथ मिलकर, हैजे की रोकथाम में सहयोग दिया।[14]

वर्ष 1938 में सवार पुलिस सहित कुल 300 पुलिस कर्मी थे। विशेष सशस्त्र बल तैनात किया गया था, जिसके 20 जवान राज्य के बाहर 5 माह के लिए विशेष ड्यूटी पर तैनात किये गये थे। आरक्षकों को बेहतर कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण कक्षाएं 1937 ई. से प्रारंभ की गई। परलकोट आउट पोस्ट को हटाकर प्रतापपुर में किया गया।[15]

वर्ष 1940 में गीदम मे नया पुलिस स्टेशन खोला गया, जिससे दंतेवाड़ा पुलिस थाने पर पड़ने वाले भार व तनाव में कमी हुई। आपात स्थिति में पुलिस को लाने –ले जाने तथा सामान्य स्थिति में खजाने के, कैदियों के वाहन तथा पर्सनल ड्यूटी में पुलिस की लॉरियों का प्रयोग किया जाने लगा।[16]

वर्ष 1941 में पुलिस के सभी पद मिलाकर कुल 289 पुलिस बल तैनात थे। राज्य में 14 पुलिस थाने तथा 03 आउट पोस्ट थे। राज्य को दो सर्किल जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा में बांटा गया था। प्रति 47 वर्गमील क्षेत्र में निवासरत जनता 2197 पर 01 पुलिस कर्मी नियुक्त था, जो जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम था। पुलिस कर्मियों को मुख्यालय में प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाने लगा।[17]

1 फरवरी 1942 को पुलिस बल को पुनर्गठित किया गया। विशेष सशस्त्र बल के 2 प्रधान आरक्षक तथा 50 आरक्षकों को सामान्य पुलिस बल में समाहित किया गया। वर्ष के अंत में स्थाई बल की संख्या 295 थी। अंतागढ़–नारायणपुर तहसील में स्थित परलकोट आउटपोस्ट तोड़ दिया और जगदलपुर तहसील में लोहंडीगुड़ा आउट पोस्ट लगाया गया। जगदलपुर मे ही एक और थाना प्रारंभ किया गया, जिससे एक ही थाने पर पड़ने वाले भार मे कमी हुई। ग्राम सुरक्षा पार्टी राज्य में तैयार की गई विशेषकर सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया।[18]

ग्रामीण पुलिस –कोटवार

गांव में शांति व्यवस्था का दायित्व कोटवार पर रहता था, जो कि मांझी, व पटेल के निर्देशन मे काम करता था। डी.ब्रेट. के अनुसार –''2180 गांवों में कुल 830 कोटवार है। कोटवार का पद वंशानुगत है। उसका पारिश्रमिक 10 पायली धान, प्रतिहल, प्रतिवर्ष है। उसे एक हल की जमीन कर मुक्त प्राप्त है। जमींदारों को उनके क्षेत्र में कोटवार नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।[19]

रियासत में राजा के पास अंगरक्षक दल होते थे। राजमहल की सुरक्षा सिपाही करते थे। सिपाही बन्दूक का प्रयोग करने लगे थे। ब्रिटिश शासन द्वारा यहां अनुभवी पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना की जाती थी। मि.गेयर पूर्व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 1910 ई. का भूमकाल विद्रोह कुचला गया था। 1910 ई. के विद्रोह में पुलिस द्वारा बिसाहा लेना तथा बेगारी करवाना एवं स्कूल जाने से मना करने पर अत्याचार करने के परिणामस्वरूप ही भूमकाल हुआ और इस दौरान विद्रोहियों द्वारा अनेक थाने जलाए गए और पुलिस वालों को मौत के घाट उतारे गए थे। विद्रोह के बाद प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिये गये तथा उन्हें शस्त्र ज्ञान देकर निपुण बनाया जाने लगा।

जेल व्यवस्था

पुलिस द्वारा गिरप्तार किये गये अपराधियों की व्यवस्था सजा उपरांत जेल में ही होती है। बस्तर रियासत हेतु स्टेट जेल जगदलपुर में था जबकि सेंट्रल जेल रायपुर में स्थित थी। सन् 1854 ई. के पूर्व छत्तीसगढ़ में अपराधियों को बन्द रखने हेतु कोई विशेष कारागार की व्यवस्था नहीं थी। रायपुर का जेल एक छोटे से मकान में स्थित था जिसमें केवल 200 कैदियों को रखा जा सकता था। उनकी देखभाल हेतु एक जमादार, एक दफेदार और 70 चपरासी थे।[20]

डिप्टी कमिश्नर इलियट ने जेल व्यवस्था में कई नवीन सुधार किये। अप्रेल 1858 से पूर्व जेल में बंद कैदियों को राशन दिया जाता था, इसमें परिवर्तन कर जेल में मेस प्रारंभ किया गया। कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था थी। कैदियों को बागवानी व अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। डिप्टी कमिश्नर जेल की व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। जेल की साफ–सफाई को विशेष महत्व दिया जाता था।[21]

1862 ई. में सी.ग्लासफर्ड ने जेल व्यवस्था पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार –''राज्य के सभी कैदियों को जगदलपुर के पश्चिम में स्थित कालीपुर के दीवान के निवास स्थान पर बंद किया जाता था। भोजन दरिद्र कैदियों को दिया जाता था। आंशिक दंड के रूप में कठोर परिश्रम लिया जाता था। दण्डावधि दीवान की मर्जी पर निर्भर थी। कारागार में अनुशासन की कमी थी यद्यपि अंग्रेजों ने जिस कारागार का निर्माण जगदलपुर में करवाया वह सुव्यवस्थित था।[22]

सन् 1888 में नए जेल वार्ड निर्मित किये गए। यहां 308 कैदियों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन 380 कैदी रहते थे, अतः अनुशासन व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 70 और कैदियों के रहने हेतु तीन अतिरिक्त बैरक निर्माण का निर्णय लिया गया। महिलाओं के लिए नए वार्डों का निर्माण किया गया।[23]

जगदलपुर कारागार में सभी कैदियों को रखना असंभव था, इस कारण 1897 ई. के बाद सजा पाये गये कैदियों को तहसील जेल में रखा गया। कई कैदियों को जेल की सजा के स्थान पर कोड़ों की सजा देने की व्यवस्था की गई।[24]

डी. ब्रेट. के अनुसार– ''जेल की व्यवस्था हेतु कर्मचारियों में एक जेलर, एक सहायक जेलर एक हेडवार्डन, और दस वार्डन तथा एक पुलिस सुरक्षा कर्मी होता था। जेल में 140 कैदियों, 8 स्त्री कैदियों समेत रखने की व्यवस्था थी। कैदियों को तेल पेरना, कपड़ा बुनना, निवाड़ बनाना, बेत की वस्तुएं बनाना आदि जेल में सिखाये जाते थे। इनके रखरखाव पर औसत खर्च 1907 में 34 रूपये था।[25]

1910 ई. में बस्तर का विद्रोह भूमकाल में मुख्य भूमिका निभाने वाले लाल कालेन्द्र सिंह को रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था जहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सेंट्रल जेल रायपुर के सुपरिंटेंडेंट श्री वी.जे. मैथ्यू ने कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिविजन को 02 अगस्त 1910 ई. को पत्र लिखकर लाल कालेन्द्र सिह के गिरते स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी।[26] यह जानकारी उन्होंने छत्तीसगढ़ कमिश्नर के पत्र क्र. 533 दिनांक 28 जुलाई 1910 के उत्तर में दी।[27] यह व्यक्ति किसी भी रूप में संतोषप्रद स्वास्थ्य की स्थिति में नहीं है। अपने जीवन का बड़ा भाग उन्हें जेल में एकाकी रहना पड़ेगा, यह सोच–सोचकर वह डिप्रेस्ड हो रहे थे। उनकी आयु 47 वर्ष (1910 में) है। दो तीन दिन में ज्वर से पीड़ित रहते हैं, जेल में प्रवेश के पश्चात् उनका वजन 08 पौंड घट गया है।[28]

बाद में बीमारी की अवस्था में (लकवा रोग से ग्रस्त) उन्हें एलिचपुर जेल में स्थानांतरित किये, जहां 15 मई 1916 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी स्वर्ण कुंवर देवी ने भी लाल की तरह ही निर्वासन अवस्था में ही जेल में ही दम तोड़ा।

कारागार में व्यवस्था का निरीक्षण किया जाता था। बीमारों का जेल के अस्पताल में ही ईलाज डॉक्टर व सर्जन द्वारा कराया जाता था। लेकिन संकुचित रहवास व साफ–सफाई के अभाव से प्रायः संक्रामक रोगों के फैलने से अनेक लोग मारे गए। वर्ष 1934 में कैदियों की मृत्यु की संख्या 33 पहुंच गयी। डॉ. मिचल ने इनकी जांच में इन्फ्लूएंजा पाया। जेल अधीक्षक ने महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के साथ इंग्लैण्ड प्रवास होने से उनकी अनुपस्थिति में जेल का मेडिकल सुपरविजन न होने से इस स्थिति का निर्मित होना बताया।[29]

जेल सलाहकार समिति की सिफारिश पर अच्छा व्यवहार रखने वालों को समय से पूर्व रिहा कर दिया जाता था। 09 नवंबर 1934 को महारानी साहिबा के इंग्लैन्ड से वापसी के अवसर पर 113 कैदियों को मुक्त किया गया।[30] इसी प्रकार सन् 1942 में 07 कैदियों को रिहा किया गया।[31]

बस्तर के जेल को केंद्रीय कारागार के रूप में निर्दिष्ट किया गया। कांकेर राज्य द्वारा वहां के दोषसिद्ध अपराधियों को बस्तर जेल में शुल्क देकर रखा जाता था। यहां कांकेर की महिला तथा आदतन अपराधियों को भी रखा जाता था। फांसी की सजा जगलदपुर में दी जाती थी। फांसी की प्रकरण में 100 रूपये प्रति प्रकरण शुल्क पटाया जाता था, क्योंकि जल्लाद कांकेर में उपलब्ध नहीं था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही जेल प्रशासक भी था और सर्जन भी।[32]

इस प्रकार बस्तर रियासत मे ब्रिटिश शासन काल में जेल की प्रशासन में धीरे–धीरे सुधार कार्य हुए। आवास, साफ सफाई तथा चिकित्सा की सुविधा एवं कैदियों को उद्योगों में लगाने से कैदियों के जीवन में परिवर्तन होने लगा। प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाता था, तथापि यदा–कदा व्यवस्था के नाखुश आदिवासी जन विद्रोह पर उतारू हो जाते थे।

सैन्य व्यवस्था

प्रशासन तंत्र में सैन्य विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। यद्यपि यहां के शासकों के पास प्राचीनकाल के समान विशाल सैनिक दल का अभाव था। बस्तर रियासत में पैदल सेना के अंतर्गत यहां की जनजातियां यथा हल्बा, मारिया, मुडिया, गदबा, भतरा आदि शारीरिक दृष्टि से अवश्य ही बलशाली थें। दशहरा के समय हल्बा बस्तर राजा के अंगरक्षक के रूप में सैनिक वेशभूषा में तैनात रहते थें तथा रथ के आगे पीछे अपना करतब दिखाते थे।[33] मुरिया, भतरा, धुरवा, हल्बा आदि जनजातियां समय–समय पर प्रशासन व राजा के खिलाफ शस्त्र भी उठाये थे तथा अपनी सैनिक क्षमता का परिचय दिया है।

पहले बस्तर रियासत में राजा सैन्य दल का प्रधान होता था फिर दीवान का स्थान था। ब्रिटिश सर्वोच्चता के समय बस्तर रियासत को अंग्रेजी शासन पर आश्रित होना पड़ता था। 1876 ई. एवं 1910 ई. मे विद्रोह को ब्रिटिश सेना के बल पर ही दबाया जा सका था। इस समय बस्तर राजा ब्रिटिश शासन की अनुमति के बिना न तो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर सकते थे और नही परस्पर सैनिक सहायता कर सकते थे।

पारिवारिक कलह की स्थिति में बस्तर के राजाओं अथवा राजकुमारों ने जैपुर से, कांकेर के राजा से अथवा रायपुर, या नागपुर के मराठों से सैन्य सहायता प्राप्त करते थे। समय–समय पर अधीनस्थ जमींदार भी थोड़ी बहुत सैन्य सहायता प्रदान करते थे। बस्तर की सेना में हल्बा जनजाति के सैनिकों की प्रधानता रहती थी। वे भाले, कटार व तलवारों का प्रयोग करते थे। अंग्रेजी शासन काल में सैनिकों द्वारा बन्दूकों का प्रयोग किया जाने लगा था। 1910 ई. के बस्तर विद्रोह में अंग्रेजों ने बन्दूको के प्रयोग द्वारा ही उसे दबा सके क्योंकि बस्तर के लोगों के पास तीर कमान, कुल्हाड़ी आदि जैसे परम्परागत हथियार थे जो बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट है कि बस्तर में रियासत काल में पुलिस प्रणाली में सुधार कर ब्रिटिश शासन ने 1858 ई. से पंजाब पुलिस मैन्युअल लागू किया था। नये पदों का सृजन कर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु शालाएं स्थापित की गई। राज्य में स्थानीय युवकों की बलों में भर्ती की जाती थी, जिनमें लगभग आधे लोग धाकड़, रावत और गोंड़ जाति के थे। राज्य में थाना व उनके कर्मचारियों हेतु आवास की व्यवस्था की गई थी।

बस्तर में 1854 ई. से. पूर्व कैदियों को रखने हेतु कारागार की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में जगदलपुर में जेल स्थापित किया गया तथा वहां पर मेस भी प्रारंभ

किया गया। कैदियों के स्वास्थ्य का परीक्षण की व्यवस्था हेतु चिकित्सकों की व्यवस्था भी की गई। कैदियों को बागवानी व अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जेल में चलाये जाने वाले उद्योग से भी ब्रिटिश शासन को आय प्राप्त होती थी। सन 1934 में कैदियों के व्यवहार में सुधार आने पर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के इंग्लैण्ड से बस्तर वापसी के अवसर पर 113 कैदियों को जेल से रिहा किया गया तथा सन 1942 में भी 7 कैदियों को रिहा किया गया था।

अंग्रेजी अधिकारियों ने अपनी सेनाओं में बंदूको का प्रयोग शुरू कर दिया था, विद्रोह होने की स्थिति सैनिको को बंदूको से लैस कर विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा जाता था। बस्तर में हुए 1910 ई. का भुमकाल विद्रोह को दबानें में बड़ी संख्या में बंदूकधारी सैनिकों की मदद ली गई थी। बस्तर में बंदूकों के प्रयोग से आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे आम जनता के मन में डर एवं शंका का वातावरण निर्मित हो गया था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डी.ब्रेट. ई.ए.,गजेटियर आफ फ्यूडेटरी स्टेट्स आफ छत्तीसगढ़, द सेंट्रल प्रॉविन्स गजेटियर ,1909, पृ. 25.*
2. *ग्राण्ट, चार्ल्स, द गजेटियर ऑफ द सेंट्रल प्राविन्सेस एंड बरार, 1870, पृ. 29.*
3. *चंद्राकर, प्रीतिलता, बस्तर पठार में जल संसाधन–मूल्यांकन एवं विकास–एक भौगोलिक विश्लेषण, वैभव प्रकाशन रायपुर, 2007, पृ. 19.*
4. *बेहार, रामकुमार (संपा.) बस्तर एक अध्ययन, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1995, पृ. 53.*
5. *चंद्राकर, प्रीतिलता, पूर्वोक्त, पृ. 26.*
6. *वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, दिव्या प्रकाशन कांकेर, 1998, पृ. 6.*
7. *बेहार, रामकुमार (संपादक), बस्तर एक अध्ययन, पूर्वोक्त, पृ. 54.*
8. *शुक्ला, सुरेश चंद्र एवं अर्चना, छत्तीसगढ़ समग्र, शिक्षादूत ग्रंथागार प्रकाशन रायपुर, 2003, पृ. 62*
9. *पूर्वोक्त, पृ. वही*
10. *होम डिपार्टमेंट , पोलिस प्रोसिडिंग्स,, जुलाई 1865, ,नं. 11–13*
11. *फारेन डिपार्टमेंट पोलिटिकल आई –प्रोसिडिंग्स , अप्रेल 1884, नं. 9–103, पृ. 8*
12. *बेहार,, रामकुमार एवं श्रीवास्तव, नर्मदा प्रसाद, आदिवासी बस्तर इतिहास एवं परंपराएं, मोती तालाब पारा, जगदलपुर जगदलपुर, 1992, पृ. 60*
13. *डी.ब्रेट ई.ए., पुर्वोक्त, पृ. 67*
14. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1934, पृ. 18*
15. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1938, पृ. 13*
16. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1940, पृ. 15*
17. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1941, पृ. 09*
18. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1942, पृ. 10*
19. *डी.ब्रेट, ई.ए., पूर्वोक्त पृ. 68*
20. *वर्मा भगवान सिंह, छत्तीसगढ़ का इतिहास, (प्रारंभ से 1947 ई. तक) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2003, पृ. 163*
21. *पूर्वोक्त, पृ. 163–64,*
22. *सी. ग्लासफर्ड रिपोर्ट, ऑन दि डिपेन्डेन्सी ऑफ बस्तर, 1862, पैरा–171 पृ. 79*
23. *छत्तीसगढ़ डिवीजनल कमिश्नरी वार्षिक रिपोर्ट, 1898, पैरा 7*
24. *पूर्वोक्त, पृ. वही*
25. *डी.ब्रेट,ई ए., पूर्वोक्त, पृ. 68*
26. *फारेन डिपार्टमेंट प्रोसिडिंग्स, सितंबर 1910, पत्र क्र. 1164 दिनांक 02 अगस्त 1910*
27. *पूर्वोक्त,*
28. *पूर्वोक्त,*
29. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1934, पृ. 11*
30. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1934, पृ. 10*
31. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1942 पृ. 10*
32. *रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी., फार द इयर 1944 पृ. 08*
33. *जगदलपुरी लाला, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, म.प्र. हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल, 2007 पृ. 85*